रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 390] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 19, 2004/चैत्र 30, 1926
No. 390] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 19, 2004/CHAITRA 30, 1926

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2004

का.आ. 509(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 20 सितम्बर,2001 की अधिसूचना सं0 का0 आ0 901 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्री सत्य सांई चिकित्सा ट्रस्ट, वृंदावन,कादूगोडी पोस्ट, बंगलौर-560067 द्वारा श्री सत्य सांई उच्च चिकित्सा विज्ञान संस्थान, प्रसान्थि (आन्ध्रप्रदेश) और वाईटफील्ड, बंगलौर (कर्नाटक) को चलाने और अनुरक्षण के लिए कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 12 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि आर्थिक और सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह संमाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है,इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की थी;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सत्य सांई चिकित्सा ट्रस्ट, वृंदावन,कादूगोडी पोस्ट, बंगलौर-560067 द्वारा श्री सत्य सांई उच्च चिकित्सा विज्ञान संस्थान, प्रसान्थि (आन्ध्रप्रदेश) और वाईटफील्ड, बंगलौर (कर्नाटक) को चलाने और अनुरक्षण की परियोजना या स्कीम को वित्त वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए केवल ग्यारह हजार सात सौ रूपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[फा. सं. 135-2004/फा. सं. एन. सी. 395/2003]
सुनील शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)